Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में जिला उद्योग केन्द्र का हैण्डलूम इंसपेक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट (प्राईवेट व्यक्ति) एवं ऑफिस असिस्टेंट (प्राईवेट व्यक्ति) 16 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा**

जयपुर, *07 नवम्बर, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, कोटा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **महेन्द्र सिंह राजावत हैण्डलूम इंसपेक्टर, जिला उद्योग केन्द्र, कोटा अतिरिक्त चार्ज डिवीजनल ऑफिसर, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, कोटा को उसकी दलाल वीनस माहेश्वरी चार्टेड अकाउंटेंट (प्राईवेट व्यक्ति) एवं समीर अली सी.ए. का ऑफिस असिस्टेंट (प्राईवेट व्यक्ति)** को परिवादी से **16 हजार 500 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, कोटा इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में नव उद्योग स्थापित करने हेतु आवेदित 10 लाख रुपये के लोन की फाईल जिला उद्योग केन्द्र से अप्रूव करवाने की एवज में महेन्द्र सिंह राजावत हैण्डलूम इन्सपेक्टर, जिला उद्योग केन्द्र, कोटा द्वारा उसकी सहयोगी वीनस माहेश्वरी चार्टेड अकाउंटेंट (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **18 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री शिवराज मीणा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मुकुल शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती अनिता** द्वारा मय टीम **उप अधीक्षक पुलिस श्री ताराचंद** व अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी वीनस माहेश्वरी चार्टेड अकाउंटेंट (प्राईवेट व्यक्ति), समीर अली ऑफिस असिस्टेंट–चार्टेड अकाउंटेंट (प्राईवेट व्यक्ति) व महेन्द्र सिंह राजावत हैण्डलूम इन्सपेक्टर, जिला उद्योग केन्द्र, कोटा को परिवादी से **16 हजार 500 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।

उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी वीनस माहेश्वरी चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा परिवादी से **18 हजार रुपये** की मांग की जाकर, **8 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे। जिनमें से भी **6500 रुपये** आरोपिया के कब्जे से बरामद किये गये जा चुके हैं।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।